[श्री जयराम वर्मा]

इत्मीनान पैदा हुआ कि देश की महान नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री है। उन के दिल में इतमीनान हो गया कि अब देश में एक मजबूत हुकूमत एक स्थिर हुकूमत कायम हो गई, अब देश के सभी मसले हल हो जायेंगे। ये जो उन की आशाएं और भावनाएं हैं ये पूरी हो सकें, यह प्रयास होना चाहिए। यह बात सही है कि जब एक पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो वह मजबूत होगी, मसलों को हल कर सकेगी। उन लोगों के मसलों को हल करने में कोई कठिनाई पैदा हो, उनके किसी काम से, इस तरह की कोशिश नही होनी चाहिए। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि और मै सभी राजनैतिक दलों के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इन अत्यन्त ज्वलंत प्रश्नों को हल करने में, जिस तरह की बातें वे यहां करते हैं, उसी तरह नेकनीयती से और ईमानदारी से उसी तरह का प्रयास भी वे करेंगे जिस से हमारे देश के प्रश्न हल हों और हमारे गृह मंत्री जी तथा प्रधान मंत्री जो इस देश को सुखी और शांत बनाने में सफल हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं फिर इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

18.10 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. DEPUTY-SPEAKER : Before I call the next here. Member t o speak. I have got to make a some observations .

The Committee on subordinate legislation in their Twelth Report (Fifth Lok Sabha) had recommended that Notifications making changes in export duties, major changes in procedures and changes in import and Central Excise duties involving revenue of more than Rs. 50 lakhs per annum, if issued before 6 p.m. on a day should be laid on the Table of the Houses of Parliament on the same day. This recommendation was reiterated by the Committee in their Twenty-first Report (Sixth Lok Sabha) presented to the House on 17 May, 1979. TheNotifications included in to-day's Supplementary List of Business involve revinue of more than Rs. 50 lakhs. The Notifications have been issued to-day and the Deputy Minister of Finance has sought permission to lay them on the Table to-day. These notifications have been allowed to be laid in pursuance of the Committee.

Shri Maganbhai Barot may now lay the papers.

NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT, 1962.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGNABHAI BAROT) :

I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962 :—

(1) Notification No. 144-Customs/80 and 145-C stoms/80 published in Gazette of India dated the 19th July, 1980 together with an explanatory memorandum regarding exemption to Di-ammonium Phosphate and Ammonium Nitro Phosphate from basic and auxiliary duties of customs when imported for use as manure or in the production of complex fertilizers. [*Placed in Library, Sec.* No. LT-1106/80]

(2) Notification No. 146-Customs/80 and 147-Customs/80 published in Gazette of India dated the 19th July, 1980 together with an explanatory memorandum regarding exemption to Muriate of Potash from basic and auxiliary duties of customs when imported for use as manure or in the pro-d ction of complex fertilizers [*Placed in Library, Sec.* No. LT-1107/80)] .

18.14 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1980-81—*Contd.*

MINISTRY OF HOME AFFAIRS—*Contd.*

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री द्वारा जो मांगें रखी गयी हैं उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। गृह विभाग के अन्तर्गत जो यह सब-प्लान आते हैं उसके सम्बन्ध में मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं। सन् 71 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो हिन्दुस्तान में बतायी गई वह 3.80 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या का 6.94 प्रतिशत है और इसी तरह से अनुसूचित जन-जाति की जो जनसंख्या बताई गई है वह 4.11 करोड़ है जो देश की जनसंख्या का 7.5 प्रतिशत है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्र का जो उत्थान हो उसमें इन वर्गों को भी लेकर हम आगे बढ़ें। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह सब-प्लान पांचवी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था उसमें यह नियम रखा गया था कि जहां की आबादी 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की होगी उसी में यह लिया जाएगा। अपने बजट में यह दर्शाया गया है कि 70 करोड़ रुपया जो उनके लिये आंका गया है यह बहुत काफी रुपया है। सारे हिन्दुस्तान के जो ऐसे खण्ड थे और जो नान-शेड्यूल एरियाज को शेड्यूल एरिया में आपने जोड़ा है उसको देखते हुए यह अन्दाजा लगाया